**प्रेस नोट**
**दिनांक - 10.09.2026**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के संगंठित अन्तर्राज्यीय गिरोह के 01 और सदस्य को किया गया गिरफ्तारः-**

## कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0स0- 0288/2026 धारा 318 (4), 319 (2), 336 (3), 338 BNS व 66 D IT Act से संबंधित वांछित अभिषेक चेलानी को उसके निवास स्थान सोनार गली ददुआ बाजार मकार्थीगंज से गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

समन्वय पोर्टल (प्रतिबिम्ब पोर्टल) पर प्रदर्शित होने वाले संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि फरवरी 2026 में छत्तीसगढ निवासी एक पीड़ित ललित झरिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का इश्तेहार/विज्ञापन देखकर उसमें दिये गये नंबर पर संपर्क किया गया और रजिस्ट्रेशन/साक्षात्कार/ट्रेनिंग व ज्वाइनिंग के नाम पर उनके साथ साइबर ठगी की गयी। उनकी ऑनलाइन शिकायत के अवलोकन से 03 मोबाइल नंबर और प्राप्त हुए जिनकी जाँच में सिम धारकों का नाम पता गैर जनपद/राज्यों का पाया गया। फ्रॉड के समय नंबरों की लोकेशन जनपद गोण्डा में पाई गई थी। वर्तमान में ये सभी नंबर निष्क्रिय हो चुके थे। उपरोक्त मोबाइल नंबरों से अभियुक्तों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना) के लोगों के साथ पिछले लगभग डेढ़ साल से नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। इन मोबाइल नंबरों और प्रयोग किये गये मोबाइल फोन व बैंक खातों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड की 25 से भी अधिक ऑनलाइन शिकायते दर्ज थीं। जिस पर साइबर सेल गोण्डा की टीम द्वारा संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के तकनीकी अन्वेषण करते हुए लिंकेज की जाँच की गई एवं लिंक IMEI, मैनुअल व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01.04.2026 को साइबर सेल गोण्डा व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा 02 अभियुक्तों 1. सुधीर कुमार गुप्ता उर्फ अतुल गुप्ता व 2. बृजेश मिश्रा को सोनी गुमटी से बूढादेवर जाने वाले मार्ग पर रेल पटरी के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 03 अदद एण्ड्रायड फोन, 01 अदद आईफोन-17 व 01 अदद की-पैड फोन बरामद करते हुए साइबर फ्रॉड के इस अन्तर्राज्यीय गिरोह का अनावरण किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। जिसमें अभियुक्त अभिषेक चेलानी वांछित चल रहा था।
आज दिनांक 10.09.2026 को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त अभिषेक चेलानी को उसके निवास स्थान सोनार गली ददुआ बाजार मकार्थीगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 318 (4), 319 (2), 336 (3), 338 BNS व 66 D IT Act थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

01. अभिषेक चेलानी पुत्र दिनेश कुमार चेलानी निवासी सोनार गली ददुआ बाजार मकार्थीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

**गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-**

01. निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव
02. का0 विवेक रावत

03. का0 संचिन भार्गव

**साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु सुझाव-**

साइबर अपराध के प्रति जागरुगता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर आनलाइन शिकायत करे अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।

सतर्क रहे, जागरुक रहे।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 10.09.2026**

**पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा**

आज दिनांक 10.09.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर में स्थित **लाइब्रेरी, पुलिस कैफे, आवासीय परिसर** का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाइन की लाइब्रेरी का निरीक्षण कर उपलब्ध पुस्तकों, अध्ययन सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। इसके पश्चात पुलिस कैफे एवं आवासीय परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई, रख-रखाव एवं उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति देखी गई। मेस के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को **अभिलेखों एवं रजिस्टरों का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने** हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं संसाधनों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित शाखाओं में व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने तथा अभिलेखों के रख-रखाव में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**

**दिनांक 10.09.2026**

**'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा-**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 07.04.2023 को थाना मोतीगंज में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें मोतीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 19.10.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

**दोषसिद्धि का विवरण-**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना मोतीगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अनूप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार व थाना मोतीगंज के पैरोकार म0का0 सारिका यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 10.09.2026 को दोषी अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री नित्या पाण्डेय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**अभियुक्त का विवरण-**

01. सुनील कुमार वर्मा पुत्र राघवराम वर्मा निवासी ग्राम बिरतापुर, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

**अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0- 110/2023 धारा 354 भा0द0वि0 व 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट, थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**